

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2643023 फैंक्स नं० 0135-2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक। 621 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-7

दिनांक 24.09.2022

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन आदेश सं० 508/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-3 दिनांक 06.04.2022 एवं आदेश सं० 1216/ मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-3 दिनांक 16.07.2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित वित्तीय स्तरोंनयन (ए०सी०पी०) स्वीकृति हेतु दिनांक 28.09.2022 को आहूत बैठक में विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त अधोनामित सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) को अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 09 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से 'प्रथम' सुनिश्चित वित्तीय स्तरोंनयन (ए०सी०पी०) एतद्वारा निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र० सं०	सहायक अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	अवर अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	प्रथम वित्तीय स्तरोंनयन (ए०सी०पी०) अनुमन्य किये जाने की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री विपिन कुमार पाल	132 के०वी० उपकेन्द्र, ज्वालापुर	28.02.2008 (पूर्वाहन)	28.02.2017

उपरोक्तानुसार स्वीकृत वित्तीय स्तरोंनयन के फलस्वरूप निर्धारित वेतन की जांच/विदिका कारपोरेट वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।


उक्त पदधारकों को वित्तीय स्तरोंनयन प्रदान करने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किये जा रहे हैं कि कोई प्रतिकूल तथ्य/विवरण संज्ञान में आने पर प्रश्नगत वित्तीय स्तरोंनयन स्वीकृति के आदेश वापस ले लिये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1621 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-7 तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/निजी सहायक/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०सं०)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-II), पिटकुल,.....।
4. महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, कारपोरेट कार्यालय, देहरादून।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल,.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,.....।
8. सम्बन्धित कार्मिक/कट फाईल/व्यैक्तिक पत्रावली।


(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)